राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3) विभाग

क्रमांक प.4(6)कार्मिक/क–3/78 जयपुर, दिनांक 23.7.2003

1. **समस्त** प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण
2. **समस्त विभागाध्यक्ष** (जिला कलेक्टर्स सहित)
3. **समस्त शासन विशिष्ठ सचिव**/शासन उप सचिवगण

परिपत्र

विषयः अधिकारियो/कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13.7.2001, 26.7.2001, 10.8.2001, **3.9.2001 6.9.2001, 13.7.2001** व 6.12.2001की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया **जाता है** जिनके **द्वारा** इस. आशय के निर्देश दिये गये थे कि जिन **अधिकारियों/कर्मचारियों को** आपराधिक **प्रकरणों** में अथवा **सीसीए नियम** 16 **के तहत विभागीय** जांच में **सरकार** को हानि पहुंचाने/सरकारी धन का दुरूपयोग करने या **उसका गबन** करने **अथवा** गम्भीर वित्तीय अनियमितताए **करने** जैसे आरोपों के लिये **दण्डित किया** जा **चुका है** अथवा इस प्रकार के मामले उनके विरूद्ध लम्बित **हैं** तो **उन्हें फील्ड** पोस्टिंग **से** हटा लिया जाय तथा भविष्य में उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं दी **जाय। परंतु** यह **देखने में** आगा है कि **उक्त** निर्देशों की **अक्षरशः** पालना नहीं की जा **रही है।**

अतः आप **सभी को** यह सुनिश्चित **करने** हेतु व्यादिष्ट **किया** जाता है कि **उक्त प्रकृति के आरोपों में अथवा** आपराधिक मामलों में लिप्त कोई भी राजकर्मी फील्ड **पोस्टिंग पर** नहीं **रहे।** इन निर्देशों की **सख्ती** से पालना कराई जाय। **निर्देशों की अवहेलना को** गम्भीरता **से** लिया जावेगा।

23/7/03

(आर.एन.मीणा)
शासन सचिव